

प्रेषक,

आलोक कुमार,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उओप्रO शासन।
2. आयुक्त,  
प्रयागराज, वाराणसी, विन्ध्याचल, आजमगढ़, गोरखपुर, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, झांसी एवं  
चित्रकूट धाम मण्डल।
3. जिलाधिकारी,  
प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, बाराबंकी, सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर, अमेठी,  
गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ,  
बलिया, मीरजापुर, भदोही, सोनभद्र, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, गोण्डा, बहराइच,  
बलरामपुर, श्रावस्ती, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा तथा हमीरपुर।

नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक: 09 नवम्बर, 2022

**विषय: संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि लोक निर्माण विभाग से नियोजन विभाग को हस्तान्तरित किए जाने एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों के राज्यांश से सम्बन्धित अंश में संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि को लोक निर्माण विभाग से नियोजन विभाग को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया है। अब उक्त निधि का संचालन नियोजन विभाग द्वारा किया जायेगा एवं इस निधि का प्रशासकीय विभाग नियोजन विभाग होगा।

2- संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त शासनादेश 1337/35-5-2002-8(74)/2000-170 दिनांक 19 सितम्बर, 2002 द्वारा निर्गत किए गए हैं। उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कालान्तर में कतिपय संशोधन निर्गत किए गए हैं। उक्त शासनादेश दिनांक 19 सितम्बर, 2002 तथा समय-समय पर निर्गत किए गए संशोधन के सापेक्ष जिलांश की व्यवस्था यथावत रहेगी। संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल /बुन्देलखण्ड) निधि के वर्तमान में प्रचलित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में राज्यांश के सापेक्ष कतिपय अपरिहार्य संशोधन किए गए हैं, जिनका विवरण संलग्नक में दिया गया है।

3- संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लोक निर्माण विभाग के बजट में अनुदान संO-56 के अन्तर्गत प्राविधान हुआ है। इस प्राविधान के सापेक्ष राज्यांश से लोक निर्माण विभाग द्वारा अब अन्य कार्य स्वीकृत करने हेतु अपेक्षित संशोधनों के अधीन रहते हुए नियोजन विभाग की संस्तुति पर स्वीकृति प्रदान की जायेगी और अगले वित्तीय वर्ष से इन विकास निधियों के लिए नियोजन विभाग के बजट में प्राविधान कराया जायेगा।

4- संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में शिथिलीकरण /परिमार्जन अथवा संशोधन माO मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किया जा सकेगा। उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**संलग्नक:** यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)  
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**संख्या:11/2022/1115/717/35-1-2022 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
- 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, 30प्र0।
- 4- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
- 5- नियोजन विभाग के समस्त अधिकारीगण।
- 6- समस्त अनुभाग, नियोजन विभाग, 30प्र0 शासन।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 8- लोक निर्माण अनुभाग-14
- 9- सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-1
- 10-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
- 11-समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
- 12-समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
- 13-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ० संजीव भारद्वाज)  
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के प्रचलित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में राज्यांश की धनराशि के उपयोग हेतु संशोधन।

मार्गदर्शी सिद्धान्त का प्रस्तर	विद्यमान व्यवस्था	राज्यांश हेतु संशोधित व्यवस्था
5.2	निधि के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि को राज्यांश एवं जिलांश नाम दो भागों में समान रूप से विभाजित किया जायेगा। राज्यांश से ऐसी परियोजनाएं ही स्वीकृत की जायेगी जिनकी परियोजना लागत ₹0 50 लाख से अधिक हो। राज्यांश के अन्तर्गत वे परियोजनायें प्रस्तुत की जायेंगी जिनका क्रियान्वयन जिलांश हेतु सीमित धनराशि ₹. 50 लाख से सम्भव न हो पा रहा हो अर्थात् ₹. 01 लाख से ₹0 50 लाख तक की लागत की परियोजनायें जिलांश से स्वीकृत की जायेंगी परन्तु इससे अधिक लागत की परियोजनायें राज्यांश के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु विचार की जायेंगी। <b>इण्डिया मार्का- III हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य ₹0 1.0 लाख की उक्त न्यूनतम सीमा से मुक्त होगा।</b>	निधि के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि को राज्यांश एवं जिलांश नाम दो भागों में समान रूप से विभाजित किया जायेगा। राज्यांश से ऐसी परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जायेगा, जिनकी लागत ₹0 50 लाख अथवा उससे अधिक हो। राज्यांश के अन्तर्गत दो या उससे अधिक जनपदों को सम्मिलित रूप से लाभान्वित करने वाली योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
5.3	निधि के अंतर्गत जिन कार्यों को नहीं कराया जा सकता है उनकी सूची परिशिष्ट में दी गयी है। उत्पादन में वृद्धि एवं क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान द्वारा समय समय पर अभिज्ञापित जनपद की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रस्तावित कार्यों को वरीयता दी जायेगी। निधियों के अन्तर्गत सेक्टर के आधार पर निर्धारित विभाजन के अनुसार परियोजनाओं की स्वीकृति की जायेगी।	निधि के अंतर्गत पूंजीगत प्रकृति के वह सभी कार्य अनुमन्य होंगे जो क्षेत्र के संतुलित समग्र विकास के लिए उपादेय हों, लेकिन निम्नलिखित प्रतिबन्ध पूर्ववत् लागू होंगे:- <ul style="list-style-type: none"> <li>• केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों, के विभागों, अभिकरणों, सार्वजनिक उपक्रमों निगमों या संगठनों से संबंधित कार्यालय भवन, आवासीय गृहों अथवा भवनों का निर्माण।</li> <li>• वाणिज्यिक संगठनों, न्यासों, पंजीकृत सोसाइटियों, निजी संस्थाओं अथवा सहकारी संस्थाओं से संबंधित कार्य।</li> <li>• किसी भी प्रकार की मरम्मत एवं अनुरक्षण संबंधी कार्य।</li> <li>• अनुदान एवं ऋण।</li> <li>• स्मारक या स्मारक भवन।</li> <li>• किसी प्रकार की वस्तु सामान की खरीद अथवा भण्डार।</li> <li>• भूमि के अधिग्रहण अथवा अभिग्रहीत भूमि के लिये कोई भी मुआवजा राशि।</li> <li>• व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति का सृजन।</li> </ul>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

मार्गदर्शी सिद्धान्त का प्रस्तर	विद्यमान व्यवस्था	राज्यांश हेतु संशोधित व्यवस्था
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• धार्मिक पूजा के स्थान का क्रय व निर्माण।</li> <li>• कच्चे मार्गों, पैदल पथ, पगडण्डियों और पैदल कच्चे पुलों का निर्माण।</li> <li>• नहरों, नालों तथा तालाबों की सफाई।</li> <li>• अस्पताल, स्कूल आदि के लिये आर्वतक व्यय।</li> <li>• परियोजना के अन्तर्गत स्टाफ का सृजन</li> <li>• वाहन क्रय</li> <li>• अत्यन्त लघु कार्य, जीर्णोद्धार आदि।</li> </ul>
6.1	निधि के अंतर्गत सड़कों तथा पुलियों का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग अथवा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं सेतुओं का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश सेतु निगम अथवा लोक निर्माण विभाग से ही कराये जा सकेंगे।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• राज्यांश के अन्तर्गत कार्य एवं कार्यदायी संस्था का चयन मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जायेगा।</li> <li>• वित्त विभाग द्वारा कार्यदायी संस्थाओं हेतु समय समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों के अनुसार राजकीय कार्यदायी संस्थाएं एवं नगर पालिकाएं/ नगर निगम/ विकास प्राधिकरण, जिनके अपने स्वयं के अधिशासी अभियन्ता अथवा उससे उच्च स्तर के अभियन्ता नियुक्त हों एवं अपनी सीमा के अन्तर्गत निर्माण हेतु स्वयं के संसाधन/ संयंत्र/ उपकरण आदि उनके पास उपलब्ध हों।</li> <li>• इसके अतिरिक्त अन्य किसी कार्यदायी संस्था को मा० मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त नामित किया जा सकेगा।</li> <li>• किसी भी दशा में निजी संस्था को निर्माण एजेन्सी के रूप में चयनित नहीं किया जायेगा।</li> </ul>
6.2	(सिंचाई, लघु सिंचाई, विद्युतीकरण, गैर पारम्परिक ऊर्जा एवं पेयजल आपूर्ति के कार्य संबंधित प्रशासनिक विभाग या उसके अधीन निगमों/संस्थाओं से कराये जायेंगे)।	
6.3	पूर्वाञ्चल विकास निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अतिरिक्त जिला पंचायतों, विकास खण्डों, नगर निगमों, नगर पंचायतों एवं विकास प्राधिकरणों को भी उनके स्वामित्व की सड़कों पर कार्यदायी संस्था माना जायेगा।	
6.4	उपरोक्त 6.1 एवं 6.2 से भिन्न परियोजनाओं के कार्य निम्न कार्यदायी संस्थाओं से करवाये जा सकते हैं। इन योजनाओं हेतु कार्यदायी संस्था का चयन प्रस्तर-6.5 पर उल्लिखित व्यवस्थानुसार किया जायेगा। <ol style="list-style-type: none"> <li>1. लोक निर्माण विभाग</li> <li>2. राजकीय निर्माण निगम</li> <li>3. ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग</li> <li>4. जल निगम</li> <li>5. समाज कल्याण निर्माण निगम</li> <li>6. यू०पी० प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल निगम</li> <li>7. प्रथम श्रेणी की नगर पालिकायें/नगर निगम/विकास प्राधिकरण/जिनके अपने स्वयं के सहायक अभियन्ता अथवा उससे उच्च स्तर के अभियन्ता नियुक्त हों एवं</li> </ol>	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

मार्गदर्शी सिद्धान्त का प्रस्तर	विद्यमान व्यवस्था	राज्यांश हेतु संशोधित व्यवस्था
	<p>अपनी सीमा के अंतर्गत निर्माण हेतु स्वयं के संसाधन/संयंत्र/उपकरण आदि उनके पास हों।</p> <p>8. ऐसी जिला पंचायते जिनके अपने स्वयं के सहायक अभियंता अथवा उससे उच्च स्तर के अभियंता नियुक्त हों तथा उनके स्वयं के संसाधन/ संयंत्र/ उपकरण आदि हों।</p> <p>9. फैक्सपेड (केवल भवन निर्माण हेतु)</p> <p>10. यू०पी० एग्री।</p> <p>11. गन्ना विकास विभाग</p> <p>12. शासन द्वारा नियमानुसार घोषित अन्य निर्माण एजेन्सी</p>	
6.6	<p>उपर्युक्त व्यवस्था निधि के अंतर्गत जिलांश एवं राज्यांश की मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित तथा संस्तुत समस्त परियोजनाओं के लिये लागू रहेगी।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• यह व्यवस्था केवल जिलांश पर लागू होगी।</li> <li>• राज्यांश के अन्तर्गत मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/जनप्रतिनिधिगण एवं सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग/ग्रामीण एवं शहरी निकायों के अध्यक्षों द्वारा कार्यों की संस्तुति की जा सकती है, लेकिन ऐसे संस्तुत कार्यों के अन्तिम रूप से चयन का अधिकार मा० मुख्यमंत्री जी में निहित होगा।</li> </ul>
6.9	<p>यदि निधि द्वारा वित्त पोषित परियोजना में उनकी स्वीकृति के पश्चात कार्यदायी संस्था का परिवर्तन अपरिहार्य हो तो इस संबंध में पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। जिलांश एवं राज्यांश से स्वीकृत परियोजना से संबंधित कार्यदायी संस्था के परिवर्तन हेतु क्रमशः मण्डलायुक्त एवं नियोजन विभाग अधिकृत होंगे।</p>	<p>राज्यांश से स्वीकृत कार्यों के लिए निर्धारित कार्यदायी संस्था में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। यदि किन्हीं कारणवश परिवर्तन अपरिहार्य पाया जाता है तो जिलाधिकारी के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पर नियोजन विभाग द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अन्तिम रूप से निर्णय लिया जायेगा।</p>
7.4	<p>राज्यांश के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 की व्यवस्थानुसार यथास्थिति मा० मंत्री जी/ मा० वित्त मंत्री जी/मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान की जायेगी तथा उसके सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जायेगी। परियोजनाओं के आगणन सम्बन्धित विभाग/ मण्डलायुक्त द्वारा तैयार कराकर अपनी संस्तुति सहित शासन के लोक निर्माण विभाग को</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• राज्यांश के अंतर्गत विकास कार्यों की स्वीकृति बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 की व्यवस्थानुसार यथास्थिति मा० विभागीय मंत्री जी/ मा० वित्त मंत्री जी/मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान की जायेगी तथा उनके सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति नियोजन विभाग द्वारा यथावश्यकता वित्त विभाग के परामर्श पर निर्गत की जायेगी। परियोजनाओं के आगणन सम्बन्धित जनपद द्वारा तैयार कराकर अपनी संस्तुति सहित नियोजन विभाग को उपलब्ध</li> </ul>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

मार्गदर्शी सिद्धान्त का प्रस्तर	विद्यमान व्यवस्था	राज्यांश हेतु संशोधित व्यवस्था
	<p>उपलब्ध करार्येंगे, जिनका नियमानुसार परीक्षण नियोजन विभाग के अधीन प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किया जायेगा। योजनाओं की स्वीकृति जारी होने के पश्चात जनपद स्तर पर स्वीकृति योजनाओं के आगणन में कोई परिवर्तन बिना शासन की पूर्व स्वीकृति से नहीं किया जायेगा।</p>	<p>करार्येंगे।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• आगणनों/परियोजनाओं का नियमानुसार परीक्षण नियोजन विभाग के अधीन प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किया जायेगा। नियोजन विभाग द्वारा परियोजनाओं पर सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग की संस्तुति निम्न बिन्दुओं पर प्राप्त की जायेगी:-             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. कार्य अन्य किसी निधि/ योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं हुआ है और यदि स्वीकृत है तो अन्य स्रोतों से कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और निधि से कितनी धनराशि स्वीकृत की जानी प्रस्तावित है।</li> <li>2. परिसम्पत्ति के सृजन के उपरान्त रखरखाव की वचनबद्धता।</li> <li>3. संचालन व्यय को विभागीय बजट से वहन किये जाने की पुष्टि।</li> <li>4. प्रस्तावित कार्यों का विभागीय मानकों से आच्छादित होने की पुष्टि।</li> <li>5. भारत सरकार की किसी निधि/योजना से वित्त-पोषण की स्थिति।</li> <li>6. परियोजना/कार्य में राजस्व व्यय निहित होने की स्थिति में उसे विभागीय बजट से वहन करने की वचनबद्धता।</li> </ol> </li> <li>• परियोजनाओं/कार्यों की स्वीकृति जारी होने के पश्चात आगणन में कोई परिवर्तन शासन की अनुमति के बिना अनुमन्य नहीं होगा।</li> <li>• कार्य पूर्ण होने के बाद यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे कार्य पूर्ण होने के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा किया जायेगा और उसकी सूचना नियोजन विभाग, वित्त विभाग तथा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को दी जायेगी।</li> </ul>

(आलोक कुमार)

सचिव, नियोजन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।